<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 15.06.2018 को आयोजित 137वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 137वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री संजय कुमार, उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री पी. के. किशन, आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान सरकार, श्री श्याम लाल गूर्जर, महानिरीक्षक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री आर.के.थानवी, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री प्रमोद प्रधान, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री एन.सी. उप्रेती, संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान व महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिड्बी, विभिन्न बैंकों, इंडियापोस्ट, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उन्हे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है. उन्होने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की.

उन्होने 20.03.2018 को आयोजित पिछली एसएलबीसी बैठक के बाद हुई विभिन्न घटनाओं की निम्नानुसार जानकारी दी-

- राजस्थान सरकार ने राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को हल करने के लिए 1 मई से 30 जून, 2018 तक राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार 2018" अभियान शुरू किया है. इस अभियान में बैंकों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पीएमएमवाई और वित्तीय समावेशन विस्तार के तहत अधिकतम नागरिकों को कवर करने का भी लक्ष्य रखा गया है.
- राजस्थान सरकार ने 'Challenge for Change' कार्यक्रम शुरू किया है जो कि विशेष रूप से स्टार्ट अप के रूप में युवाओं को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए बनाया गया है. इन स्टार्टअप को मदद करने के लिए राज्य सरकार ने निविदा के कई पैरामीटर यथा past experience, deposit of earnest money, net worth इत्यादि पैरामीटर अब हटा दिये हैं जो कि कार्य अनुबंध जीतने के लिए निविदा लगाने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य थे.

- भारतीय रिज़र्व बैंक की दिनांक 6 अप्रैल 2018 की संशोधित लीड बैंक योजना के तहत एसएलबीसी, डीसीसी और बीएलबीसी मंचों की भूमिका विस्तृत रूप से निर्दिष्ट की गयी है जो कि डेटा की प्रमाणिकता एवं डेटा प्रवाह की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए डेटा प्रबंधन प्रणाली के साथ उल्लिखित है.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष जून के पहले सप्ताह (4 से 8 जून, 2018) को 'उपभोक्ता संरक्षण' विषय के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में घोषित किया है. वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, इस कार्यक्रम के लिए आरबीआई द्वारा विशेष रूप से तैयार की गयी प्रचार सामग्री राज्य भर में बैंक शाखाओं में प्रदर्शित की गई है एवं एफएलसी काउंसलर्स द्वारा बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया है.
- भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.04.2018 से 05.05.2018 तक 16,850 गांवों के लिए 'ग्राम स्वराज अभियान' (जीएसए) चरण-I का एक विशेष अभियान शुरू किया था, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को लक्षित कार्यक्रमों यथा पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई के तहत सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए लक्षित किया गया था. राजस्थान राज्य में 30 जिलों के चिन्हित 599 गांवों में जीएसए-I में तीनों योजनाओं के लिए प्रगति लक्ष्य के मुकाबले 100% से अधिक थी.
- इस क्रम में भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 तक की अवधि के लिए 115 aspirational जिलों के 45,137 गांवों में जीएसए चरण -II शुरू किया है. जीएसए चरण -II राजस्थान में चिन्हित 5 आकांक्षी जिलों यथा बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली व सिरोही के समस्त गांवों में 100% संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्गदर्शन व नेतृत्व प्रदान करने के लिए चयनित जिलों का प्रभार बैंक / बीमा कंपनियों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को दिया गया है. उन्होने जीएसए चरण -II के अंतर्गत अभी तक की प्रगति बहुत कमजोर रहने पर चिंता व्यक्त की एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु उन्होने सभी बैंकों से अधिकाधिक प्रयास करने पर ज़ोर दिया.
- अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के मार्च 2018 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उपलब्धि, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. उन्होने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैंड अप योजना में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक नामांकन करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर व रूपे कार्ड एक्टिवेशन पर भी प्रकाश डाला.
- उन्होने बताया कि ऋण की वसूली बैंकों के महत्वपूर्ण पैरामीटर में से एक है क्योंकि बढ़ते एनपीए के कारण बैंकों का लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है. साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भी प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है. राको (रोड़ा) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत जिला/ ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है. यहाँ तक कि कुछ मामले तो एक वर्ष से

भी अधिक समय से लंबित हैं. बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए वसूली हेतु बैंकों के पक्ष में वातावरण बनाने की आवश्यकता है.

- उन्होने यह भी सुझाव दिया कि राको (रोड़ा) और SARFAESI अधिनियम के तहत दायर मामलों में वसूली पर प्रोत्साहन देने के लिए एवं लंबित मामलों के निष्पादन हेतु ब्लॉक / जिला प्राधिकरणों को लक्ष्य आवंटित किए जा सकते हैं.
- उन्होने भू- अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए नियमित अद्यतन करने एवं बैंकों द्वारा चार्ज का ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाए जाने की आवश्यकता बताई.
- राज्य सरकार के स्तर पर आर सेटी के भूमि आवंटन का मामला लंबित होने के कारण 2 केंद्रों (अलवर एवं सवाई माधोपुर) में आर सेटी परिसर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है. इसके अलावा 4 केंद्रों (जैसलमेर, जालोर, पाली एवं सीकर) को भूमि आवंटित तो कर दी गई है लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया.
- सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में उच्च एनपीए स्तर को ध्यान में रखते हुए, एनपीए की समस्याओं को हल करने एवं रिकवरी के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बैंक अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारियों सहित राज्य स्तर पर एनपीए रिकवरी पर उपसमिति बनाने की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके माध्यम से पब्लिक डिमांड रिकवरी अधिनियम / राको (रोड़ा) अधिनियम, SARFAESI अधिनियम के तहत चार्ज प्रतिभूतियों के त्वरित प्रवर्तन से वसूली में आने वाली बाधाओं का समाधान मिलेगा. सभी बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे एसएलबीसी को इस संबंध में आवश्यक डेटा प्रदान करें ताकि एनपीए रिकवरी पर उप-समिति की पहली बैठक राज्य स्तर पर जल्द ही आयोजित की जा सके.

अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय व मंचासीन सदस्यों की अनुमति से उपमहाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, श्री राजीव शर्मा से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने का अनुरोध किया.

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री राजीव शर्मा ने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **136** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.2) **136** वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु:-

ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि बीआरकेजीबी बैंक के 52 एटीएम कार्यशील है एवं राजस्थान सरकार को हमारे द्वारा 48 एटीएम स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है. यह प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित होने से सूचित किया गया है.

अध्यक्ष, बीआरकेजीबी ने बताया कि राजस्थान सरकार से 48 एटीएम स्थापना की अनुमति प्राप्त होने पर स्थापित कर दिए जाएंगे. साथ ही सदन को अवगत करवाया कि ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रत्येक शाखा में माइक्रो एटीएम लगाए जा रहे हैं तथा अभी तक 568 माइक्रो एटीएम क्रयादेश दिए जा चुके है एवं दिनांक 15.07.2018 तक 264 अतिरिक्त माइक्रो एटीएम के क्रयादेश दिया जाना प्रस्तावित है.

(कार्यवाही: बीआरकेजीबी)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरएमजीबी द्वारा 28 एटीएम स्थापित किए जा चुके हैं जो कि कार्यशील हैं एवं vortex कंपनी के मिनी एटीएम क्रय किए जाने से सूचित किया गया है.

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि उनके बैंक द्वारा कुल 35 एटीएम मशीन क्रय कर ली गयी हैं जिसमें से 28 एटीएम कार्यशील कर दिये गए हैं एवं 7 एटीएम कार्यशील करने की प्रक्रिया चल रही है. प्रायोगिक तौर (Pilot Basis) पर Vortex कंपनी के 5 मिनी एटीएम स्थापित किए गए हैं जो कि सफल रहा है तथा अतिरिक्त 95 मिनी एटीएम लगाने के लिए प्रयोजक बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी है एवं निविदा सफल होने के पश्चात प्रयोजक बैंक से अनुमति मिलते ही एटीएम स्थापित कर दिये जाने से आश्वस्त करवाया है.

(कार्यवाही: आरएमजीबी)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों ने अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने के बिन्दु को अनुपालनार्थ नोट किए जाने से सूचित किया है. मार्च 2018 तक राज्य में 7532 बैंक शाखाओं के सापेक्ष 5118 ऑन-साईट एटीएम की स्थापना बैंकों द्वारा की जा चुकी है. साथ ही उन्होने पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यूको बैंक, इलाहबाद बैंक, डीसीबी, येस बैंक एवं ग्रामीण बैंकों से अनुरोध किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने हेतु त्वरित कार्यवाही करें.

(कार्यवाही: नियंत्रक संबन्धित बैंक, राजस्थान)

<u>आरसेटी (RSETI) को भूमि आवंटन</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्तमान राज्य में 35 आरसेटी/रूडसेटी संचालित हैं जिनमें से 05 आरसेटी के भूमि आवंटन प्रकरण राज्य सरकार के स्तर से लंबित चल रहे हैं. साथ ही

अवगत करवाया कि ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 30.06.2018 से पूर्व आवंटित भूमि पर भवन निर्माण कार्य के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.2018 है जो कि अति निकट है. उन्होने जिन आरसेटी में भूमि आवंटन/भवन निर्माण के प्रकरण लंबित है उन प्रकरणों के लिए उन्होने अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसडीआर से अनुरोध किया.

निम्नलिखित भूमि आवंटन प्रकरणों पर समुचित कार्यवाही कर जल्द निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

आरसेटी, अलवर (PNB): उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु दिनांक 11.01.2018 को संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के निर्णयानुसार निशुल्क भूमि आवंटन के प्रकरण को अनुषंशा हेतु यूडीएच, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित किया गया है. उक्त प्रकरण यूडीएच, राजस्थान सरकार, जयपुर के स्तर पर लंबित है.

(कार्यवाही: शहरी निकाय विभाग एवं ग्रामीण विकास, राजस्थान सरकार)

आरसेटी, सवाईमाधोपुर (BOB) : **उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि यू.आई.टी. सवाईमाधोपुर के लिए ग्राम जटवाड़ा खुर्द में 0.64 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है. उक्त भूमि मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक प्रायोजनार्थ है. भूमि पर आंशिक अतिक्रमण है जिसे न्यास द्वारा हटा लिया जाएगा. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर ने पत्रांक 93(30)नविन्सा/ भू.शा.2017/121 दिनांक 25.04.2018 के द्वारा भूमि आवंटन के प्रकरण के निस्तारण हेतु संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है.

(कार्यवाही: संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

आरसेटी जालौर : **उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति** ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा Civil Suit के विरुद्ध पैरवी की जा रही है एवं वैकल्पिक भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं होने से भी सूचित किया है तथा उक्त प्रकरण की न्यायालय में अगली सुनवाई की तारीख 18.07.2018 है.

आरसेटी श्रीगंगानगर : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यू आई टी हनुमानगढ़ के द्वारा आरसेटी श्रीगंगानगर को भूमि कर (Land Tax) का डिमांड नोटिस जारी कर दिया गया है एवं बैंक द्वारा आरसेटी श्रीगंगानगर की भूमि आवंटन प्रकरण का निस्तारण होने से सूचित किया गया है.

आरसेटी पाली : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आरसेटी को वैकल्पिक भूमि आबंटित करने का प्रकरण जिला प्रशासन स्तर पर अभी भी लंबित होने से सूचित किया है.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं प्रायोजक बैंक)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान सरकार से आरसेटी को लंबित भूमि आबंटित करने के प्रकरण में ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से त्वरित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया.

महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि उनेक बैंक के आरसेटी को आवंटित भूमि 1 एकड़ से कम होने की स्थिति में भूमि आवंटन के प्रकरण निरस्त करने हेतु उनके बैंक के बोर्ड द्वारा निर्देश प्रदान किए गए है.

स्टेट निदेशक, आरसेटी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा 0.50 एकड़ एवं उससे अधिक भूमि भी आरसेटी के लिए आवंटित की जा सकती है.

<u>वसूली (PDR Act)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है. उन्होने बताया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है. राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के सभी ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें. राज्य सरकार से अपेक्षित कार्यवाही हेतु पुनः अनुरोध है.

(कार्यवाही: राजस्व विभाग राजस्थान सरकार)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (सं.वि.), राजस्थान सरकार ने उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से राको रोड़ा एक्ट एवं सरफेसी एक्ट के तहत लंबित प्रकरणों की जिलेवार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया ताकि वसूली संबन्धित कार्यवाही के लिए संबन्धित जिला कलक्टर को आवश्यक निर्देश दिए जा सके.

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (बकाया ऋण की वसूली) का गठन किया जा चुका है एवं राको (रोड) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की जिलेवार सूचना समस्त बैंकों से अपेक्षित है लेकिन राज्य के कुछ बैंकों द्वारा उक्त सूचना एसएलबीसी को प्रेषित नहीं करने की स्थिति में प्रथम बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका है.

उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि एनपीए वसूली से संबन्धित जिलेवार जानकारी उपलब्ध करवाएँ जिससे एनपीए वसूली के लिए गठित की गयी उप समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि को उक्त जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके.

(कार्यवाही : समस्त नियंत्रक सदस्य बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष तथा कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निरंतर बढ़ते हुए एनपीए पर चिंता जताते हुए कहा कि 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर एनपीए अधिक होने के कारण PCA (Prompt Corrective Action) लगा हुआ है एवं 5 और बैंक PCA की श्रेणी में आने के करीब हैं.

साथ ही उन्होने बताया कि औद्योगिक विकास दर में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के वावजूद भी राज्य में बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि संतोषजनक रही है एवं बैंक ऋण वसूली के साथ-साथ सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओ के ऋण वसूली में राजस्थान सरकार से सहयोग अपेक्षित है. उन्होने एनपीए वसूली के लिए राजस्थान सरकार से त्वरित एवं कड़े कदम उठाने का भी अनुरोध किया

(कार्यवाही : संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, आरएमजीबी ने सुझाव प्रदान किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति बैठक में जिन जिलों अथवा उपखण्ड में अधिक परेशानी आ रही है उनकी चर्चा के लिए प्रमुखता प्रदान करें.

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (सं.वि.), राजस्थान सरकार ने आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार बैंकों को पूर्ण सहयोग के लिए तत्पर है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि मार्च 2018 तक सभी बैंकों का कुल NPA 3.53% रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 4.79%, वाणिज्यिक बैंकों (सार्वजनिक व निजी बैंक) में 3.64% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में 5.15% सकल NPA है एवं बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋणों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली के लिए समुचित सहयोग हेतु अनुरोध किया गया. साथ ही इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, राजस्थान सरकार एवं अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया.

<u>साख जमा अनुपात (CD Ratio)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में तीन जिले यथा डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही जिले का CD Ratio 40% से नीचे आ जाने के कारण जिले के साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन में DCC की विशेष उप समिति का गठन कर लिया गया है एवं विशेष उप समिति की बैठक नियमित रूप से संबन्धित जिलों में आयोजन किए जाने से सूचित किया है.

जिला डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही का मार्च 2018 (दिसम्बर 2017) का साख जमा अनुपात क्रमशः 36.28% (36.32%), 47.19% (45.73%) एवं 37.71% (39.44%) रहा है. इस प्रकार जिला राजसमंद में मार्च 2018 का साख जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से ऊपर रहा है. समस्त बैंक नियंत्रक, सदस्यों द्वारा साख जमा अनुपात की बढ़ाने की अनुपालना हेतु नोट किये जाने से सूचित किया है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि राजस्थान में साख जमा अनुपात में पहले से सुधार हुआ है लेकिन डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही जिलों के साथ साथ उदयपुर एवं अजमेर भी बेंचमार्क के हाशिये पर हैं अतः इन डूंगरपुर एवं सिरोही जिलों में अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा साख जमा अनुपात बढ़ाने एवं कार्य योजना के सापेक्ष उपलब्धि की नियमित समीक्षा डीसीसी की विशेष उप समिति की नियमित रूप से करने की आवश्यकता बताई. उन्होने जिन बैंकों का साख जमा अनुपात बेंचमार्क से कम है उन बैंक को साख जमा अनुपात बढ़ाने के निर्देश प्रदान किए.

साथ ही उन्होने अग्रणी जिला प्रबन्धक, राजसमंद के नकारात्मक रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि अग्रणी जिलें की भूमिका जिलें में महत्वपूर्ण होती है इसको ध्यान में रखते हुए अग्रणी जिला प्रबन्धक पद पर विश्लेषण की योग्यता रखने वाले एवं सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति को ही पदस्थापित करने के बैंक नियंत्रक को निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : नियंत्रक, डीसीसी संयोजक बैंक, राजस्थान)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों को सुझाव दिया कि राजीविका द्वारा प्रायोजित स्वयं सहायता समूह (SHG) का अधिक से अधिक क्रेडिट लिंकेज कर एवं आर सेटी के प्रशिक्षणार्थियों को NRLM एवं NULM योजानाओं के अंतर्गत ऋण देकर साख जमा अनुपात बढ़ाया जा सकता है.

निदेशक, आरसेटी ने बैंकों से आर सेटी के प्रशिक्षणार्थियों को NRLM एवं NULM योजानाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, राजीविका ने बताया कि जिला राजसमंद व डूंगरपुर जिलें में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के वित्त पोषण में बैंक शाखाओं द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है इस संबंध में बैक शाखाओं द्वारा सहयोग करने पर उक्त जिलें के साख जमा अनुपात में बढ़ोतरी में सहायक होगी एवं योजनांतर्गत विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित लगभग 8200 आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अनुरोध किया.

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि राजसमंद एवं सिरोही में औद्योगिक इकाईयों में मंदी के चलते साख जमा अनुपात कम रहा है जिसे बढ़ाने के लिए उनके बैंक द्वारा सम्पूर्ण प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि पूर्व में जिला स्तर पर उपसमिति गठित कर साख जमा अनुपात बढ़ाने की कार्ययोजना बनायी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप राजसमंद में साखजमा अनुपात में वृद्धि हुई

है. इसी प्रकार अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन से साख जमा अनुपात बढ़ाने की रणनीति बनाने व निगरानी रखने हेतु जिला स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश प्रदान किए एवं जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि, एलडीओ भारतीय रिजर्व बैंक, डीडीएम नाबार्ड, डीपीएम राजीविका एवं विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने का अनुरोध किया ताकि बेंचमार्क हासिल करने की ठोस कार्ययोजना क्रियान्वित की जा सके.

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक, डूंगरपुर, राजसमंद एवं सिरोही)

<u>5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों का रोडमैप (FIP - Road Map)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 30.04.2018 तक 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) 171 गांवों में नयी शाखाएँ खोलने की स्थिति निम्नानुसार रही:

- 48 गांवों में बैंक शाखाएं खोल दी गयी हैं.
- 110 गावों में शाखाएँ खोलने के प्रस्ताव पर बैंकों ने आर्थिक लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए आउटलेट की औपचारिताएं पूर्ण करते हुए/बीसी के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाने से सूचित किया है.
- 13 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रकरणों के प्रस्ताव बैंकों के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं .

साथ ही उन्होने सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि दिनांक 31.03.2018 तक 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित (Unbanked) गांवों में बैंकिंग आउटलेट की परिभाषा की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए शाखा अथवा बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें.

<u>कनेक्टिविटी की समस्या (Connectivity Issue)</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या का निस्तारण करने व कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने एवं जल्द से जल्द इस हेतु बैठक का आयोजन करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार से अनुरोध किया.

प्रोजेक्ट अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार ने अवगत करवाया कि उनके विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों कों राजनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जा रही है एवं जिन गांवों/पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है उन स्थानों पर शीघ्र ही कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान किया.

(कार्यवाही : सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि उनके नाबार्ड द्वारा बैंकों को सोलर VSAT स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है लेकिंग कुछ बैंकों द्वारा कनेक्टिविटी की समस्या ना होने का कारण देते हुए प्रस्ताव लौटा दिए गए है जबकि अभी भी कई स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या मौजूद है. साथ ही उन्होने बताया कि कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए नाबार्ड द्वारा मोबाइल बूस्टर योजना चालू करने से सूचित किया.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि नाबार्ड ने परिपत्र संख्या 287/DFIBT-53/2017 दिनांक 19.12.2017 के द्वारा सूचित किया है कि बैंकों को ग्रे क्षेत्रों के उप-सेवा क्षेत्रों में जहां सौर ऊर्जा पर चलने वाले वी-सैट की वर्तमान मंजूरियों का उपयोग नहीं किया जा सका है उन उप सेवाक्षेत्रों में मोबाईल बूस्टर योजना का लाभ ले सकते हैं. मोबाईल बूस्टर योजना के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.03.2018 एवं नाबार्ड को क्लेम प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.06.2018 है.

(कार्यवाही: नियंत्रक, सदस्य बैंक, राजस्थान)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 31.03.2018 तक राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में विभिन्न बैंकों के द्वारा 505 गांवों में केवल 697 PoS मशीनों की स्थापना की गयी है. इस संबंध में उन्होने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार से अनुरोध किया कि बैंकों के साथ बैठक का आयोजन कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास किए जाएँ.

प्रोजेक्ट अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा PoS मशीनों की स्थापना के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं एवं बैंकों को आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन प्रदान किया.

<u>अन्य कार्यवाही बिन्दु</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 31.12.2017 तक 31328 कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष 6109 कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है. इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 19.50% रही है एवं प्रशिक्षण के लिए चिन्हित/इच्छुक लाइफ मनरेगा कामगारों का Identification एवं Sponsoring करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया तथा उक्त सूचना समस्त आरसेटी संस्थानों को उपलब्ध करवाया जाने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाने हेतु भी अनुरोध किया.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं राज्य निदेशक, आरसेटी, राजस्थान)

राज्य निदेशक, आर सेटी ने बताया कि जिला प्रशासन से अपेक्षित सहयोग ना मिल पाने के कारण लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि कम रही है. प्रशिक्षण के लिए चिन्हित/इच्छुक लाइफ मनरेगा कामगारों का Identification

एवं Sponsoring करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के अंतर्गत कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि केवल 19.50% होने पर चिंता व्यक्त की एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित एन.यु.एल.एम की टास्क फोर्स में अग्रणी जिला प्रबन्धक के अलावा बैंक के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य होने अनिवार्य है लेकिन अधिकतर जिलों में बैंकों के प्रतिनिधियों को टास्क फोर्स में सम्मिलित नहीं किया गया है. अतः टास्क फोर्स में बैंक के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भी सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किए ताकि ऋण आवेदन पत्रों की गुणवत्ता कायम होगी जिससे ऋण आवेदन पत्रों की अस्वीकृति की संख्या में भी कमी आयेगी एवं टास्क फोर्स पेशेवर रूप में कार्य कर सकें.

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

परियोजना निदेशक, डेएनयूएलएम, राज्य सरकार ने अवगत करवाया कि टास्क फोर्स में बैंकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है.

<u>स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है. संयुक्त शासन सचिव (सं वि.) आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया हैं कि माननीय विधायकों के नामांकन हेतु पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन है. फलस्वरूप समिति की प्रथम बैठक भी बहुप्रतीक्षित है.

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13852 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में केवल 1425 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 3063 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है. साथ ही उन्होने बताया कि उक्त योजना का यह अंतिम वर्ष है एवं अभी तक की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु कड़े प्रयास किए जाने हेतु सभी बैंकों के नियंत्रकों अनुरोध किया.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि हाल ही एससी/एसटी की संसदीय समिति ने राजस्थान विजिट के दौरान स्टेण्ड अप-इण्डिया के अंतर्गत अन्य राज्यों की प्रगति की तुलना में राजस्थान की धीमी प्रगति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होने सभी बैंकों के नियंत्रकों से अनुरोध किया कि शाखाओं कों निर्देशित करें कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2018 तक 4426 इकाइयों को राशि रू 49.98 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2018 तक 1037 इकाइयों को रू 6.48 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है.

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2018 तक केवल 1131 इकाइयों को राशि रू 19.74 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है. समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, एनएचबी एवं हुड़को से आकड़ों के विचलन को दूर करने हेतु अनुरोध है.

उन्होने बताया कि हाल ही में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने बाबत आवश्यक स्वघोषित आय प्रमाण पत्र बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग नगण्य प्रगति पर उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा उन्होने आवास योजना के "टाइटल डीड के अनुसार बैंक के पक्ष में भूमि बंधक नहीं की जा सकती है" नियमों में आवश्यक संशोधन करने का आश्वासन प्रदान किया जिससे बैंक/वित्तीय संस्थान उक्त भूमि को रहन कर सकें एवं ऋण की अदायगी नहीं किए जाने की स्थिति में भूमि/भवन विक्रय की जा सके.

<u>अन्य कार्यवाही बिन्दु</u>

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि राजस्थान में 143 एफ़पीओ बनाए गए है जिसमें से 137 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है अन्य सहकारिता एक्ट में रजिस्टर्ड है. एफ़पीओ विभिन्न कार्य कर रहे हैं जैसे बागवानी, कृषि, पशुधन इत्यादि. उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे एफ़पीओ की कार्यप्रणाली देखें एवं रेटिंग मानक से मूल्यांकन कर एफ़पीओ को वित्त पोषित करें. उन्होने सभी बैंकों से एकजुट होकर एफ़पीओ के सुदृढिकरण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया. नाबार्ड द्वारा एफ़पीओ को वित्त पोषित एवं आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने

प्रस्तावित हैं जिनके माध्यम से राज्य के लगभग 40 से 50 हजार किसानों कों लाभान्वित किया जा सकेगा. उन्होने बैंकों एवं अन्य हितधारकों को सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में केवल भारतीय स्टेट बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक ने ही एफ़पीओ कों ऋण प्रदान किया है तथा अन्य सभी बैंकों से भी एफ़पीओ कों वित्त पोषित करने हेतु अनुरोध किया. उन्होने भारत सरकार के निर्देशानुसार गठित एफ़पीओ को लाइसेन्स देने एवं मंडी में स्थान उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है.

परियोजना निदेशक, डेएनयूएलएम, राज्य सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विधि विभाग, राजस्थान सरकार को उक्त प्रकरण प्रेषित किया गया है एवं उन्होने आश्वस्त किया कि उक्त प्रभार बैंकों पर से हटा लिए जाएंगे.

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

Social Banking parameters & Annual Credit Plan

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि शाखा विस्तार: 31 मार्च, 2018 तक राज्य में कुल 7,532 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 में मार्च तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 188 शाखाएं खोली गयी हैं एवं 174 शाखाएं बंद की गयी है जिसमें से प्रमुख रूप से एसबीआई एवं इसके सहयोगी बैंकों के विलय के पश्चात शाखाएं बंद की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है.

जमाएँ व अग्रिम: 31 मार्च, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 2.58% के साथ कुल जमाएँ रूपये 3,48,527 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.27% के साथ कुल ऋण रूपये 2,75,693 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 2.72%, 7.83% एवं नकारात्मक वृद्धि 7.00% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं को-ऑपरेटिव बैंकों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 15.11%, 13.75% एवं 19.50% रही. राज्य का साख जमा अनुपात 81.19% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है.

साथ ही उन्होने बताया कि साख जमा अनुपात प्रदर्शन की निगरानी हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक के संयोजन से गठित DCC की विशेष उप समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.50% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,89,365 करोड़ रू रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.30% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 99,996 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 31 मार्च, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 12.87% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 89,369 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 मार्च, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 19.66% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 64,914 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 मार्च, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.53% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 13,672 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 68.69%, कृषि क्षेत्र को 36.27%, कमजोर वर्ग को 23.55%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 14.29% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 10.21% रहा है. उपरोक्त सभी मानदण्डों में बकाया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंचमार्क से ऊपर रहे हैं.

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के लिए बेंचमार्क को 75% से 60% तक करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया.

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 31 मार्च, 2018 को राज्य में साख जमा अनुपात 81.19% रहा है. 31 मार्च, 2018 को डुंगरपुर एवं सिरोही में CD Ratio क्रमशः 36.28%, एवं 37.71% रहा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित बेंच मार्क 40% से कम है.

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में चतुर्थ तिमाही तक की उपलब्धि 75.94% रही है. कृषि में 67.47%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 131.29% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 48.67% की उपलब्धि दर्ज की गई है एवं वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष चतुर्थ तिमाही में वाणिज्यिक बैंकों ने 85.98%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 72.08% तथा को-ऑपरेटिव बैंक ने 47.99% की उपलब्धि दर्ज की है.

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को बताया कि राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के 31 मार्च, 2018 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी.

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि जाइंट लायबिलिटी ग्रुप (JLG) को वित्त पोषित करना कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए अच्छा माध्यम है. बैंक द्वारा जाइंट लायबिलिटी ग्रुप को ऋण देने पर नाबार्ड के द्वारा भी अनुदान प्रदान किया जा रहा है जिसके लिए नाबार्ड से पूर्व में अनुबंध करना होगा.

साथ ही उन्होने बताया कि हाल ही भारतीय स्टेट बैंक ने लगभग 1500 जेएलजी को वित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड से अनुबंध किया है तथा उन्होने अन्य बैंकों कों भी इस दिशा में प्रगति के लिए अनुरोध किया ताकि सीमान्त व भूमि हीन किसानों को आवश्यक ऋण सुविधा प्राप्त हो सके.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

<u>ऐजेंडा क्रमांक - 3</u>

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से दिनांक 31.03.2018 तक 48 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं एवं 110 गांवों में बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गाँवों में दिनांक 31.03.2018 तक हुई प्रगति की सराहना करते हुए बताया कि अब केवल 13 गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शाखा अथवा बैंकिंग आउटलेट खोला जाना बाकी है.

साथ ही उन्होने सदन को अवगत करवाया कि दिनांक 24.05.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार कुल 171 गांवों में से 31 गांवों में बैंकों को शाखा खोलने में समस्या आ रही थी. अतः उन गांवों को पुनः विभिन्न बैंकों को आवंटित किया गया. उन्होने बताया कि पुनः आवंटन की प्रक्रिया में भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा ने सराहनीय भूमिका निभाई लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक, कार्पोरेशन बैंक, इंडसइंड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, केनरा बैंक की प्रगति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

उन्होने स्पष्ट किया कि जिन बैंकों में पीसीए लगा हुआ है वे बैंक ब्रिक एंड मोर्टार शाखा नहीं खोल सकते लेकिन बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है. इसलिए किसी भी बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर निर्णय लंबित नहीं होना चाहिए.

उन्होने यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व के एलडीओ द्वारा किए गए बैंकिंग आउटलेट निरीक्षण में कुछ भारी अनियमितताएं पायी गयीं. अतः उन्होने इसे संबन्धित बैंक की प्रतिष्ठा के लिए जोखिम बताते हुए बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने बैंकिंग आउटलेट की नियमित निगरानी करें एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपलाना करें.

उन्होने बताया कि भारत सरकार ने ऐसे गाँव चिन्हित किए हैं जहाँ 5 KM की परिधि में किसी प्रकार की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है. उक्त गांवों में 45 गांव ऐसे है जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है जहां पूर्व में बीसी लगाए गए थे लेकिन बाद में उन्होने कार्य करना बंद कर दिया. अतः उन्होने सभी बैंकों के नियंत्रकों से अनुरोध किया कि वे अपने बैंक के बीसी क्रियाशील की समीक्षा कम से कम मासिक आधार पर करें. उन्होने यह भी बताया कि सरकार के किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 KM की परिधि में बैंकिंग सुविधा होना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसानों को वित्तीय सहायता का लाभ लेने एवं सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं से जुडने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े.

उन्होने बताया कि कुछ बैंक राज्य में टियर 5 व 6 केन्द्रों पर 25% शाखाएं खोलने के निर्देशों की अनुपालना नहीं कर रहे है एवं भारतीय रिजर्व बैंक व एसएलबीसी के निरंतर फॉलोअप के बावजूद भी वित्तीय समावेशन के तहत शाखाएं खोलने की प्रगति भी नगण्य है जो कि चिंतनीय है.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

अध्यक्ष, एसएलबीसी एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रत्येक बैंक शाखा परिसर में शाखा से सम्बद्ध सभी बीसी की जानकारी यथा नाम, स्थान, मोबाइल न. एवं फोटो प्रदर्शित की जाए एवं इसकी अनुपालना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा सुनिश्चित की जाए.

(कार्यवाही : एसएलबीसी, राजस्थान एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष एसएलबीसी एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि कुछ बैंक पीसीए की श्रेणी में होने के कारण शाखा खोलने में असमर्थ हैं, इस स्थिति में निजी क्षेत्र के बैंकों को छोटे गांवों में शाखाएँ खोलने का दायित्व प्रदान करें तथा जो बैंक वित्तीय समावेशन व समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले दायित्वों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर रहे है उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया.

(कार्यवाही : भारतीय रिजर्व बैंक)

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (सं.वि.), राज्य सरकार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा RISL के अतिरिक्त बीसी भी लगाये जा रहे हैं जिनकी निगरानी बैंकों एवं राज्य सरकार के द्वारा की जाती है. अतः जहां भी बीसी की उपलब्धता नहीं है वहाँ RISL के बीसी लगाए जा सकते है. उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि RISL के बीसी लगाकर गावों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएँ.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि नाबार्ड भी बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु माइक्रो एटीएम की स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जिसमें से कुल लागत का 80% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को व 60% वाणिज्यिक बैंक को तथा अधिकतम राशि रू 25,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है.

उन्होने 895 बैंक रहित गांवों में माइक्रो एटीएम की स्थापना कर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने सदन को अवगत करवाया कि उनके बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों से 151 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में नियुक्त किया गया है.

प्रतिनिधि, सूचना एवं प्रौध्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा भी बैंकों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिसके लिए ग्रामीण बैंकों से किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है एवं निजी क्षेत्र के बैंकों से राशि रू 100 प्रति माह के रूप में किराया वसूला जा रहा है.

<u>प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत खोले गए खातों में दिनांक 31.03.2018 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 45.38% तथा आधार सीडिंग 84.52% है.

उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से व विशेष रूप से निजी बैंकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें.

उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में कुल नामांकन दिनांक 31.03.2018 तक 63.41 लाख होने से सूचित किया जो कि 31.01.2018 में 61.04 लाख था. साथ ही सभी बैंकों से अनुरोध किया कि 5 aspirational district में चल रहे ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 100% लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपनी शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

ग्राम स्वराज अभियान का नोडल अधिकारी उच्च प्रबंधन स्तर के अधिकारी को बनाया गया है तथा ब्लॉक स्तर पर केंद्र सरकार का अधिकारी लगाया गया है एवं इसकी निगरानी नियमित रूप से वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है अतः जिन शाखाओं में स्टाफ की कमी है वहाँ deputation पर स्टाफ लगाया जाएं ताकि सर्वे का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लक्ष्य प्राप्ति की जा सके.

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि डीसीसी संयोजक बैंक अपने अग्रणी जिला प्रबन्धकों को सुदृढ़ यथा समुचित मूलभूत सुविधाएं, स्टाफ इत्यादि उपलब्ध करा कर 5 aspirational district में ग्राम स्वराज अभियान को सफल बनाने की कार्ययोजना बनाने हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक को निर्देश प्रदान करें ताकि जिला स्तर पर ग्राम स्वराज अभियान में वित्तीय समावेशन योजनाओं में 100% संतृप्ति का स्तर प्राप्त किया जा सके एवं इसके साथ साथ अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लायी जा सके.

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के नियंत्रकों से अनुरोध किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार अग्रणी जिला प्रबन्धकों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं उन्हे प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें एवं भारतीय रिजर्व बैंक को भी अवगत करवाएँ.

(कार्यवाही : डीसीसी संयोजक बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, एसएलबीसी एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में जनवरी- मार्च तिमाही में निजी बैंकों द्वारा नामांकन घटा है जो कि चिंताजनक है. उन्होने निजी बैंको एवं सहकारिता क्षेत्र से अनुरोध किया कि वे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

(कार्यवाही : निजी क्षेत्र के बैंक एवं सहकारिता क्षेत्र के बैंक, राजस्थान)

उपमहाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 31.03.2018 तक कुल 7694 क्लेम में से 826 क्लेम लंबित क्लेम हैं जिनका निस्तारण त्वरित गति से करने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.

(कार्यवाही: बीमा कंपनीयां, राजस्थान एवं नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>Spread of Financial Literacy in ITIs, Skilling Centre</u>

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 04.06.2018 से 08.06.2018 तक वित्तीय साक्षारता सप्ताह के सफल आयोजन की सराहना करते हुए समस्त बैंक नियंत्रकों को बधाई प्रदान की.

उन्होने बताया कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान वित्तीय साक्षरता सलाहकारों द्वारा मांग की गयी थी कि जिस बैंक से वे सम्बद्ध हैं उस बैंक द्वारा उन्हे पहचान पत्र

जारी किया जाये. इस संबंध में बैंक नियंत्रकों को वित्तीय साक्षरता सलाहकारों को पहचान पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

To initiate the financial literacy programme for school children, with a special focus on female students of class 9 and 10 in the state

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत 5083 विद्यालयों का मानचित्रण (Mapping) कर 3398 विद्यालयों में साक्षरता कार्यक्रम किये गये हैं. इन कार्यक्रमों में 265970 विद्यार्थियों ने भाग लिया है तथा 251555 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री भी उपलब्ध करवायी गयी है.

Support from Financial Inclusion Fund (FIF) Deployment of PoS Terminals in Tier 5 and Tier 6 Centres

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के तहत राज्य में 10000 से कम आबादी वाले गावों में कम से कम 2 PoS मशीन स्थापित करने का लक्ष्य है. इस संबंध में 10393 गांवों में 14300 PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 8.58 करोड़ रू की लागत पुनर्भरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है तथा बैंकों द्वारा 505 गांवों में 697 PoS स्थापित की गयी हैं.

(कार्यवाही: राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड एवं नियंत्रक सदस्य बैंक राजस्थान)

Suport from FIF-Promotional Scheme for Deployment of 20 Lakh BHIM AADHAAR pay Devices

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि नाबार्ड ने परिपत्र संख्या 292/DFIBT-56/2017 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा योजना " Promotional scheme for deployment of 20 lakh BHIM Aadhaar pay devices including merchant on-boarding for merchant transcations" लॉच की है. साथ ही उन्होने बताया कि नाबार्ड के एफ़आईएफ़ के माध्यम से मर्चेन्ट के BHIM Aadhaar pay devices के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है.

Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया गया कि वित्तीय समावेशन योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के कार्यान्वयन/ मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति (SLFIC) का गठन किया गया है, जिसकी चार बैठकों का मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजन किया जा चुका है. दिसम्बर 2017 तिमाही की बैठक शीघ्र आयोजित करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया.

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति - आरसेटी</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि राज्य स्तरीय समिति, आरसेटी का गठन किया जा चुका है तथा इसकी तृतीय बैठक दिनांक 09.01.2018 को आयोजित की गयी है.

स्टेण्ड अप इण्डिया योजना की राज्य स्तरीय कार्यन्वयन समिति का गठन

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप इण्डिया योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्विति हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के गठन के आदेश राज्य सरकार ने दिनांक 22.08.2016 को जारी कर दिये हैं. समिति में सदस्य के रूप में दो विधायकों जिनमें एक अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति श्रेणी एवं एक महिला का नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा नामित किया जाना प्रतीक्षित है. राज्य सरकार ने समिति की प्रथम बैठक का आयोजन विधायकों के नामित किये बिना करने का अनुरोध किया है. इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है.

(कार्यवाही: संयुक्त शासन सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार)

<u>अटल पेंशन योजना (APY)</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि PFRDA द्वारा दिये गए अटल पेंशन योजना के तहत मार्च 2018 तक कुल लक्ष्य 466460 के सापेक्ष में 193360 उपलब्धि रही है जो कि लक्ष्य का 41.45% है. ग्राम स्वराज अभियान-II के अंतर्गत भी अटल पेंशन योजना में अधिकाधिक पंजीकरण करवाकर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. साथ ही सभी बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे 'न्याय आपके द्वार' अभियान हेतु लगाए जा रहे कैंपों के साथ अपने कैंप लगाकर 5 aspirational जिलों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु अच्छी प्रगति की जा सकती है.

(कार्यवाही: नियंत्रक सदस्य बैंक, राजस्थान)

अन्य कार्यवाही बिन्दु

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंक द्वारा प्रदर्शित विज्ञापनों की सूची पट्ट एवं विज्ञापन शुल्क देने बाबत नगर निगम कार्यालय, जयपुर ने बैंकों को नगर निगम सीमा में प्रदर्शित विज्ञापन जो उपविधियों के अनुसार 4 फिट चौड़ाई एवं अधिकतम 50 फिट लंबाई सीमा में है उन विज्ञापनों पर वित्तीय वर्ष हेतु प्रचलित दर @237.59 प्रति वर्ग फिट से भुगतान करने हेतु निर्देशित किया है एवं उक्त राशि जमा नहीं होने करने की स्थिति में विज्ञापन हटाने का हर्जा खर्चा वसूल करने से भी सूचित किया है. इस संबंध में राज्य में कार्यरत बैंकों से एसएलबीसी कार्यालय को विभिन्न पत्र प्राप्त हुये है जिनमें बैंकों ने अवगत करवाया है कि शाखा के बाहर बैंक का नाम एवं शाखा के नाम का Glow Sign Board इसलिए प्रदर्शित किया जाता है ताकि ग्राहक/जनता को सुविधा रहे. उन्होने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंकों पर प्रभारित विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करें.

(कार्यवाही : स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार)

Providing Aadhar Enrollement/updation facility in Bank Premises

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारत सरकार के गज़ट नोटिफिकेशन के अनुसार वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों की प्रत्येक दस शाखाओं में से 1 शाखा में Aadhar Enrollement /updation की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया है. उक्त निर्देशों की अनुपालना में राज्य की वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों की 6934 शाखाओं में से 752 शाखाओं को Aadhar Enrollement/updation की सुविधा के लिए चिन्हित किया गया है एवं हमारे कार्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार 519 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र स्थापित किए जा चुके है. साथ ही उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि जिन शाखाओं में आधार केंद्र स्थापित नहीं किए जा सके हैं वहाँ शीघ्र स्थापित किए जाएँ.

बैंकों द्वारा न्यूनतम आधार पंजीकरण एवं अपडेशन

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि UIDAI, MeITY, भारत सरकार के पत्रांक 4(4)/57/341/2017/E&U दिनांक 31.05.2018 के माध्यम से पूर्व में प्रत्येक शाखा को प्रतिदिन न्यूनतम 16 आधार पंजीकरण एवं अपडेशन का लक्ष्य दिया गया था जिसमें कुछ बैंकों को तकनीकी समस्या आ रही थी अतः लक्ष्यों में शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नानुसार लक्ष्य प्रदान किए गए है

1 जुलाई 2018 से- न्यूनतम 8 आधार पंजीकरण एवं अपडेशन प्रतिदिन
1 अक्टूबर 2018 से- न्यूनतम 12 आधार पंजीकरण एवं अपडेशन प्रतिदिन
1 जनवरी 2019 से- न्यूनतम 16 आधार पंजीकरण एवं अपडेशन प्रतिदिन

ग्राम स्वराज अभियान- फेज़-I (दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक ग्राम स्वराज अभियान- फेज़-I का आयोजन किया गया जिसके दौरान 16850 गाँव (राजस्थान के 30 जिलों के 599 गाँव) के लिए विशेष पहल शुरू की गयी. इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों तक पहुँच कायम करना एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं तथा वित्तीय समावेशन योजनाएं यथा प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से वंचित रह गए लोगों को इनके दायरे में लाकर लाभान्वित करना है.

ग्राम स्वराज अभियान- फेज़-II (दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 तक)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 115 aspirational जिलों में ग्राम स्वराज अभियान- फेज़-II (EGSA) दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 तक आयोजित किए जाने से सूचित किया. राजस्थान में भी 5 aspirational जिले चिन्हित किए गए हैं जिनमें 100% संतृप्ति का स्तर प्राप्त करने की निगरानी के लिए बैंकों व बीमा कंपनियों के उच्च अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है. उन्होने ज़ोर दिया कि ग्राम स्वराज अभियान फेज II के अंतर्गत वित्तीय समावेशन योजनाओं के लक्ष्यों का समुचित रूप से निर्धारण करना सुनिश्चित करने एवं 100% संतृप्ति का स्तर प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

Agenda No. 4

Doubling of Farmer's Income by 2022

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना में नाबार्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न पैरामीटर के बेंचमार्क के अनुसार वार्षित साख योजना तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड को प्रेषित कर दिये गए हैं जिनके अनुमोदन हेतु अनुरोध किया.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि किसानों की आय दुगुनी करने के संबंध में महत्वपूर्ण पैरामीटर Gross Value Added (GVA) काफी कम रहने से सूचित किया है एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक प्रयास करने हेतु बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसान क्रेडिट पर एक सर्वे करवाया गया जिसकी रिपोर्ट की अनुषंशा निम्नानुसार है -

1. किसान क्रेडिट की आहरण सीमा के अनुसार ही किसानों को आहरण की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए.

2. किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से मिली राशि को सुरक्षित रूप से उपयोग में लाने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों का कवरेज बढ़ाया जा सके.
4. किसान क्रेडिट कार्ड खातों में आधार सीडिंग बढ़ाया जाये.
5. Negotiable Warehouse Receipt के अंतर्गत भी ऋण प्रदान किए जाये.

उन्होने समस्त बैंक कर्मचारियों को उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियंत्रक सदस्य बैंकों को निर्देश प्रदान किए एवं राज्य सरकार से अनुरोध किया कि भूअभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाये ताकि भूमि रहित किसानों को आवश्यक ऋण सुविधा प्रदान की जा सके.

Change of URL of National Crop Insurance Portal

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राष्ट्रीय पोर्टल का नया URL www.pmfby.gov.in डिज़ाइन किया गया है. उन्होने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि वे उक्त पोर्टल से tutorial से अपनी भूमिका एवं पोर्टल की कार्यप्रणाली समझ कर अनुपालना करने हेतु अनुरोध किया.

साथ ही उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आधार कार्ड की अनिवार्यता है. अतः सभी बैंकों से अनुरोध किया कि समस्त ऋणी कृषकों का आधार कार्ड पंजीकृत किया जाये.

Credit Support to Farmer Producers' Organisation (FPOs)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि प्रधानमंत्री की कृषकों की 2022 तक आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एफ़पीओ की प्रमुख भूमिका हो सकती है एवं नाबार्ड द्वारा राज्य में 143 एफ़पीओ स्थापित किए गए है. साथ ही उन्होने बताया कि नाबार्ड द्वारा बनाए गए 143 एफ़पीओ की सूची एसएलबीसी के द्वारा समस्त बैंकों से साझा कर दी गयी है एवं उक्त एफ़पीओ को वित्त पोषित करने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

Strengthening of Negotiable Warehouse Reciepts (NWRs) by WDRA

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समिति को अवगत करवाया कि NWR के पेटे बैंकों ने वर्ष 2017-18 की चतुर्थ तिमाही में 343 इकाईयों को ऋण राशि रू 170.86 करोड़ का वितरण किया है एवं 31 मार्च 2018 को 610 इकाइयों में ऋण राशि रू 531.87 करोड़ बकाया है.

वसूली (Recovery)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत करवाया कि 31 मार्च 2018 तक सभी बैंकों का कुल NPA 3.53% रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 4.79% एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में सकल NPA 5.15% है एवं बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के ऋणों में लगातार हो रही वृद्धि की दशा में राज्य सरकार से बैंक ऋण वसूली हेतु समुचित सहयोग हेतु अनुरोध भी किया गया.

Recovery cases reported pending under RACO (ROD) Act 1974 as on Mar. 2018

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने का पुनः अनुरोध किया एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि डीसीसी/डीएलआरसी बैठक में राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत लंबित आवेदनों के निस्तारण की नियमित रूप से चर्चा करे.

SARFAESI Act, 2002

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से लंबित प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया.

<u>State Level Sub- Committee on NPA Recovery</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि अपेक्षित जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को उपलब्ध करवाएँ जिससे उपसमिति की प्रथम बैठक का शीघ्र आयोजन किया जा सके.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 5</u>

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के भारत सरकार द्वारा आवंटित 31,619 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक

31.03.2018 तक 33,877 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 107.14% उपलब्धि है.

प्रतिनिधि, राजीविका ने 2017-18 में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने पूर्ण सहयोग किया एवं उन्होने समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया कि वर्ष 2018-19 में एनआरएलएम योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने एनआरएलएम योजना के तहत ऋण देने की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में समस्त बैंक द्वारा उनकी शाखाओं को जारी किए गए निर्देशों की प्रति राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रेषित करें ताकि राजीविका को भी बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं को दिए गए निर्देशों से अवगत कराया जा सके.

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत दिनांक 31.03.2018 तक की प्रगति एवं वर्ष 2018-19 के आवंटित लक्ष्यों के प्राप्त नहीं होने से सूचित किया. उन्होने बताया कि 28.08.2018 तक एनयूएलएम योजना के तहत 5,556 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है.

परियोजना निदेशक, डे-एनयूएलएम, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत लक्ष्य निर्धारित हो गए है जिनको शीघ्र ही प्रेषित कर दिया जावेगा. साथ ही उन्होने आश्वासन दिया कि योजनांतर्गत बैंकों की ऋण वसूली में भी सहयोग प्रदान करेंगे.

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2017-18 के पीएमईजीपी के तहत राज्य में मार्जिन के संशोधित लक्ष्य राशि रू 49.09 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 75.79 करोड़ की मार्जिन मनी स्वीकृति की उपलब्धि रही है. जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 154.38 % (ऋण पर मार्जिन मनी स्वीकृति) उपलब्धि है. प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) अंतर्गत हुई प्रगति से सदन को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 2017-18 में योजनांतर्गत 101% लक्ष्य (मार्जिन मनी क्लेम) प्राप्त होने से सूचित करते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना

की. उन्होने सर्वप्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा को धन्यवाद दिया एवं बताया कि राज्य के कुल लक्ष्यों के 25% की उपलब्धि बैंक ओफ बड़ौदा द्वारा अर्जित की गयी. साथ ही अन्य बैंकों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया जिसमें से प्रमुख रूप से भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक है. तथा सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वर्ष 2018-19 में पीएमईजीपी के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

Special Central Assistance Scheme SC/ST

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 31560 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 10635 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 33.70% उपलब्धि है. समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से वर्ष 2018-19 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने हेतु अनुरोध है.

प्रतिनिधि, एससी पोप ने बताया कि बैंकों द्वारा यूसी प्रदान नहीं की जा रही है एवं उन्होने शाखावार लंबित यूसी का विवरण सभी बैंकों को प्रेषित करने का आश्वासन दिया एवं अनुरोध किया कि शाखाओं को यूसी प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें.

साथ ही सदन को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने बजट 2018-19 में कुम्हार, मोची और बढई को 2 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिये जाने की घोषणा की है. इस संबंध में उन्होने अवगत करवाया कि उक्त योजननान्तर्गत बैंकों द्वारा दिये गए ऋण पर प्रभारित ब्याज राशि का भुगतान सरकार करेगी. योजना का विवरण बैंकों को शीघ्र ही प्रेषित करने हेतु आश्वासन प्रदान किया.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आवंटित लक्ष्यों 6395.67 करोड़ रू के सापेक्ष 31 मार्च 2018 तक राशि रू 7438.58 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरित कर दिये हैं एवं जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 116.31% है.

Credit Assistance given to RSETI trainess under MUDRA Scheme

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 31.03.2018 तक 2329 लाख रू के 5288 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किए गए जो कि सराहनीय है.

राज्य निदेशक, आरसेटी ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि आरसेटी प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें ताकि राज्य में आरसेटी प्रशिक्षुओं के वित्त पोषण का औसत 40% से 50% तक बढ़ाया जा सकें.

भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाई को वित्तपोषण करने के रखे हैं एवं दिनांक 31.03.2018 तक बैंक शाखाओं द्वारा 11295 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 102.68% रही है. उन्होने बताया कि सेवा क्षेत्र एवं विनिर्माण क्षेत्र की सीमा को क्रमशः 10 लाख एवं 25 लाख कर दिया गया है. साथ ही interest subvention को 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है.

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राज्य सरकार ने 2017-18 में भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की सराहना की एवं उन्होने एसएलबीसी राजस्थान के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक तथा यूको बैंक को विशेष रूप से अच्छा सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया. साथ ही उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि लगभग 8600 आवेदन बैंकों शाखाओं में लंबित हैं. उनके निस्तारण हेतु समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13852 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में केवल **1425** उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 3063 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है. उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ क्रियांविति करावें.

एजेण्डा क्रमांक - 6

Rural Self Employment Training Institute (RSETI)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 35 RSETI/RUDSET संचालित हैं एवं मार्च 2018 तिमाही में आरसेटी संस्थानों द्वारा संचयी (Cumulative) 209573 प्रार्थियों को प्रशिक्षित कर उनमें से 163434 व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया गया है. राज्य में सभी आरसेटी की समेकित व्यवस्थापन दर 77.98% रही है, जिनमें से 36.01% लोगो को बैंकों द्वारा वित्त पोषित कर व्यवस्थापित किया गया है.

RSETI- Status Building Construction (Summary)

उप महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी संस्थानों के 4 भवन निर्माणाधीन हैं एवं 6 जिलों यथा सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सीकर एवं अलवर में भूमि आवंटन के प्रकरण विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं. राज्य सरकार से इन प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया गया.

Charging Commercial tariff for electricity connection given to RSETI buildings

उप महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें कौशल निर्माण का कार्य करती है जिसमें किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे संबन्धित बिजली विभाग को निर्देशित करें कि आर सेटी भवन को दिये गए बिजली कनेक्शन पर व्यावसायिक दरें लगाने की बजाए घरेलू दर से चार्ज वसूला जाये.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

Progress under RBI's Model Scheme for Financial Literacy Centers

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से मार्च 2018 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 706 एवं पार्ट बी के लिए 1296 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

Going Digital Camps

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि नाबार्ड ने पत्र दिनांक 15.12.2017 द्वारा सूचित किया है कि भारत सरकार ने सभी बैंक रहित क्षेत्रों में निकटवर्ती शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने हेतु निर्देशित किया है. इस संबंध में नाबार्ड ने सभी ग्रामीण बैंक रहित क्षेत्रों में कम से कम 1 कैंप का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया है.

उन्होने बताया कि एसएलबीसी कार्यालय के पत्रांक एसएलबीसी/FLCC/2017-18/1825 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों, अग्रणी जिला प्रबन्धकों से सभी बैंक रहित क्षेत्रों में "Going Digital Camp" आयोजित करने हेतु अनुरोध किया है.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 7</u>

<u>Performance under CGTMSE</u>

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में मार्च 2017, तिमाही तक 4838 उद्यमियों को एवं राशि 437 करोड़ रू कवर किये जाने से समिति को अवगत करवाया एवं योजनान्तर्गत बैंकों से कवरेज बढ़ाने का आग्रह किया.

एजेण्डा क्रमांक - 8

शिक्षा ऋण (Education Loan)

उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में राज्य में 10611 छात्रों को राशि रू 336.01 करोड़ के शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें कुल बकाया राशि रू 1789.05 करोड़ होने से अवगत करवाया. राजस्थान सरकार ने गज़ट अधिसूचना दिनांक: 12.02.2018 जारी कर रु. 10 लाख तक के शिक्षा ऋणों पर बैंकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबन्धो पर स्टांप ड्यूटी की छूट दिनांक 31.03.2019 तक किए जाने से सूचित किया.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2018 तक 4426 इकाइयों को राशि रू 49.99 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2018 तक 1037 इकाइयों को 6.49 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है. राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2018 तक केवल 1131 इकाइयों को राशि रू 19.74 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है. साथ ही उन्होने समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक, एनएचबी एवं हुड़को से आकड़ों के विचलन को दूर करने हेतु से अनुरोध किया.

(कार्यवाही समस्त बैंक नियंत्रक, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान सरकार ने बैंकों द्वारा लगाई जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी संबंधी प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं. उन्होने महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि इस संबंध में सदन को विस्तृत जानकारी प्रदान करें.

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्व अर्जित करने में राज्य में तीसरे स्थान पर रहा है. उन्होने बताया कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों की उपलब्ध सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रगति अच्छी रही है. निजी बैंकों में कुछ बैंकों यथा आईसीआईसीआई, एचडीएफ़सी बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक के अलावा अन्य सभी निजी बैंकों की प्रगति कमजोर रहने से सूचित किया.

उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि बैंकों द्वारा जिन ऋण संबंधी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जा रही है उन दस्तावेजों को दुबारा जांच लें जिससे कोई भी दस्तावेज़ जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय हो, वह छूट ना जाए.

साथ ही उन्होने अवगत करवाया कि विधानसभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC) की बैठक दिनांक 21.06.2018 को प्रस्तावित है जिसमें सार्वजनिक उपक्रम कार्यालयों से राजस्व अर्जित करने पर अत्यधिक ज़ोर रहेगा. बैंकों की सुविधा के लिए वित्त विधेयक 2018 में स्टाम्प एक्ट, 1998 के अंतर्गत E-GRAS Menu (Electronic Government Reciept Account) का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा चालान सीधे बैंक में जमा हो सकता है एवं E-GRAS को बैंक के सिस्टम से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे यदि कोई दस्तावेज़ भूलवश मुद्रित होने से छूट जाए तो एक चेतावनी संदेश जारी हो सके. स्टाम्प एक्ट, 1998 के अनुसार यदि कोई ऋण दस्तावेज़ बिना मुद्रित हुए निष्पादित कर दिया जाए तो प्रभारी अधिकारी पर 5000 रू का जुर्माना एवं 2 साल तक की कैद का प्रावधान होने से सूचित किया. उक्त दस्तावेज़ कोर्ट के समक्ष भी अमान्य होगा. अभी तक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा इस संबंध में कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है परंतु उक्त प्रकार की गलती होने पर PAC द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य किया गया है.

उन्होने अवगत करवाया कि किराये पर लिए गए एटीएम परिसर के किरायनामे का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से अनुपालनार्थ अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, पंजाब एंड सिंध बैंक ने सुझाव दिया कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी मुद्रित दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए जिससे रिकॉर्ड रखा जा सके.

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि मुद्रित दस्तावेजों के पंजीकरण करवाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को जल्द ही प्रेषित कर दिया जाएगा.

प्रतिनिधि, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बताया कि **रबी 2017** का डेटा पोर्टल से उनके विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है जबकि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गयी है.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य सरकार के साथ इस संबंध में बैठक हुई थी जिसमें उन्होने स्पष्ट किया था कि अग्रणी जिला प्रबन्धक की सहायता से इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि शाखावार डेटा का reconciliation कर सकते हैं. उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि पोर्टल पर बैंकों द्वारा अद्यतित डेटा इंश्योरेंस कंपनी को देने में मदद करें.

सहायक महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. श्री हितेश कुमार चौबीसा द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

****